## <u>न्यायालयः</u>— <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला</u>—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103000212011</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—12 / 11</u> संस्थापित दिनांक—13.01.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चन्देरी f		
		अभियोजन
विरुद्ध		
01—चंपालाल पुत्र मा बस्ती।	नक अहिरवार उम्र	40 साल निवासी नई
		आरोपी
राज्य द्वारा आरोपी द्वारा	:— श्री सुदीप श :— श्री पठान अ	ार्मा, ए.डी.पी.ओ.। धिवक्ता।ं

## —: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 01.03.2017 को घोषित)</u>

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 324, 323, 504 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफतारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी चंदन सिंह ने दिनांक 03.01.11 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को उसका तथा चंपालाल का ताश खेलने के उपर से विवाद हो गया था। इसी बात पर से चंपालाल ने उसे गालियां दीं व हाथ में पत्थर का मुक्का बनाकर उसके बीच सिर में मारा जिससे उसे चोट आकर खून निकल आया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 08/11 के अंतर्गत भादवि की धारा 324, 323, 504 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 324 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1. क्या आरोपी ने दिनांक 03.01.11 समय शाम 5 बजे नई बस्ती चंदेरी में फरियादी चंदन को धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की ?

## <u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 चंदन सिंह की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

- 07— अभियोजन साक्षी 01 चंदन सिंह ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को उसका आरोपी से वाद—विवाद हो गया था जिस पर से उसने आरोपी के विरुद्ध प्रपी 01 की रिपोर्ट लेखबद्ध करा दी थी। उक्त साक्षी के अनुसार पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका प्रपी 02 तैयार किया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने उसे पत्थर से मुक्का बनाकर सिर मारा था जिससे उसे चोट आई थी। उक्त साक्षी ने प्रपी 03 का पुलिस कथन पुलिस को देने से इंकार किया है। प्रकरण में उक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उससे यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादी को पत्थर /धारदार हथियार से मारकर उपहित कारित की गई।
- 08— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 324 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 09— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 10- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।
- 11— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द. प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)